आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1.	**एबीआरवाई के क्या उद्देश्य हैं?**
	कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत पंजीकृत स्थापनाओं के नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजित करने एवं ₹15000/- से कम मासिक वेतन पर औपचारिक /संगठित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले नए कर्मचारियों एवं कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी गंवाने वाले, कम वेतन भोगी वर्ग से पुनर्नियोजित होने वाले व्यक्तियों को सहायता देना ।
2.	**एबीआरवाई के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण की वैधता अवधि क्या है?**
	नए कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए एबीआरवाई वेतन माह अक्टूबर, 2020 से वेतन माह जून, 2020 की अवधि हेतु खुली है।
3.	**क्या एबीआरवाई के अंतर्गत लाभ केवल उपर्युक्त वैधता अवधि के लिए उपलब्ध है ?**
	पात्र स्थापनाओं के नियोक्ताओं द्वारा नए कर्मचारियों के पंजीकरण की तिथि से 24 वेतन माह की अवधि के लिए लाभ उपलब्ध होंगे ।
4.	**कर्मचारियों के संदर्भ आधार का क्या अर्थ है?**
	यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) वाले कर्मचारियों की संख्या जिनके लिए नियोक्ता ने कर्मचारी भविष्य निधि /कर्मचारी पेंशन योजना अंशदान का भुगतान वेतन माह सितंबर, 2020 के लिए नियत तिथि तक ईसीआर फाईल करके किया है, को किसी स्थापना की पात्रता निर्धारित करने के लिए कर्मचारियों के संदर्भ आधार के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। 01-10-2020 से 30-06-2021 तक के कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत पंजीकृत हुई नई स्थापनाओं के लिए कामगारों का संदर्भ आधार शून्य माना जाएगा।
5.	**ऐसी स्थापना जो वेतन माह सितंबर 2020 के लिए नियत तिथि तक ईसीआर फाइल करने और देय का भुगतान करने में असफल रही है, के लिए पात्रता एवं कर्मचारियों के संदर्भ आधार का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा?**
	स्थापनाएं एबीआरवाई लाभ के लिए केवल तब पात्र होंगी जब वेतनमान सितंबर, 2020 के लिए ईसीआर 15 दिसंबर, 2020 अथवा इसके पूर्व में फाइल की गई हो यदि सितंबर, 2020 के लिए ईसीआर 15 अगस्त, 2020 के पश्चात परंतु 15-12-2020 तक फाइल की गई हो, तो कर्मचारियों का संदर्भ आधार, वेतन माह सितंबर, 2020 की ईसीआर में अंशदायी यूएएन की संख्या, अथवा पिछले वेतन माह में, जिसके लिए ईसीआर 11-11-2020 तक फाइल की गई थी, जो भी अधिक हो, होगी प्रश्न संख्या 33 में इसे विस्तार से बताया गया है।
6.	**केंद्र सरकार से अंशदान के लाभ प्राप्त करने के लिए स्थापना की पात्रता के क्या मानदंड है ?**
	➢ इस योजना के आरंभ होने से पहले पंजीकृत हुई स्थापनाओं को, संदर्भ आधार से अधिक नौकरी देनी होगी, कम से कम 2 नए कर्मचारी (यदि कर्मचारियों का संदर्भ आधार 50 से कम अथवा इसके बराबर है) एवं न्यूनतम 5 नए कर्मचारी (यदि कर्मचारियों के संदर्भ आधार 50 से अधिक है) ➢ इस योजना की वैधता की अवधि 01-10-2020 से 30-06-2021 के दौरान किसी भी तिथि को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर्ड होने वाली नई स्थापना के लिए, कर्मचारियों का संदर्भ आधार शून्य माना जाएगा एवं सभी नए पात्र कर्मचारियों के लिए लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।
7.	**एबीआरवाई के उद्देश्य हेतु नए कर्मचारी कौन हैं?**
	"नए कर्मचारी" का अर्थ है, कोई कर्मचारी जो प्रति माह रु. 15000/- से कम वेतन

	प्राप्त कर रहा है। (i) जो किसी स्थापना में कार्यरत नहीं था एवं 1 अक्टूबर, 2020 से पहले उसे यूनिवर्सल खाता संख्या नहीं मिला था, 01.10.2020 को अथवा इसके पश्चात 30.06.2021 तक की स्थापना में कार्यग्रहण करता है और जिसे आधार प्रमाणित यूएएन आवंटित हुआ है। (ii) वैसा कभनि कर्मचारी, जिसे पहले से यूएएन आबंटित है, और जो 01.03.2020 से 30.09.2020 की अवधि के दौरान किसी स्थापना से नौकरी छोड़ता है, तो यह तिथि उसके यूएएन में रिकॉर्ड है एवं वह 01.10.2020 को या उसके पश्चात् से 30.06.2021 तक किसी क.भ.नि.सं. पंजीकृत स्थापना में कार्यग्रहण करता है।
8.	**क्या होगा, यदि स्थापना एक ठेकेदार है, जो भविष्य निधि देयों का भुगतान मूल नियोक्ता से प्राप्त भुगतान के माध्यम से करता है।**
	वैसे मामले में, जब पात्र स्थापना (इस योजना के आरंभ होने के पश्चात कवर्ड एवं पंजीकृत होने वाली स्थापनाओं सहित) कोई ठेकेदार हो जो एक अथवा अधिक मूल नियोक्ताओं को मैनपावर उपलब्ध कराता हो, तो इस योजना के अंतर्गत किसी वेतन माह के लिए नए कर्मचारी का नियोक्ता के अंशदान के भाग का केंद्र सरकार से दावा नहीं किया जाएगा, यदि इसे संबंधित मूल नियोक्ता से प्राप्त किया गया है अथवा इसका दावा किया गया है। यदि नियोक्ता के भाग की ऐसी कोई राशि हेतु इस योजना के तहत केंद्र सरकार से दावा किया गया है एवं मूल नियोक्ता से भी दावा किया गया है तो इसे केंद्र सरकार को लौटाना होगा।
9.	**क्या एबीआरवाई लाभ प्राप्त करने के लिए स्थापनाओं को कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या को बनाए रखना होगा?**
	स्थापना को किसी भी वेतनमाह में योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संदर्भ आधार के संबंध में अतिरिक्त नए कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या को बनाए रखना होगा। यदि स्थापना किसी वेतन माह में संदर्भ आधार के संबंध में अतिरिक्त नए कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या बरकरार नहीं रखती है तो नियोक्ता के अंश एवं अथवा कर्मचारी का अंश का लाभ जैसा भी मामला हो, उस माह के लिए देय नहीं होगा। अतिरिक्त नए कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या बरकरार रखने के अलावा, पहले से पंजीकृत स्थापनाओं को किसी भी वेतनमाह के लिए इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए, संदर्भ आधार के लिए ली गई कर्मचारियों की संख्या को बनाए रखना होगा। विस्तृत स्पष्टीकरण प्रश्न संख्या 31 में दिया गया है ।
10.	**क्या पीएमआरपीवाई लाभार्थी नियोक्ता भी इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त कर सकता है ?**
	यदि कोई नया कर्मचारी पहले से पीएमआरपीवाई/ पीएमपीआरपीवाई के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थी हैं तो ऐसे नए कर्मचारी के लिए एबीआरवाई के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगा
11.	**यदि कोई कर्मचारी इस योजना की सभी शर्तें पूरा करता है परंतु कुछ माह के पश्चात उसका वेतन 14999 से अधिक हो जाता है तो क्या होगा?**
	इस योजना के अंतर्गत कोई भी नया कर्मचारी अपात्र हो जाएगा यदि योजना की अवधि के दौरान किसी भी समय उसका मासिक वेतन 14999/- से अधिक हो जाता है।
12.	**लाभ की राशि कितनी है और पात्रता के क्या मानदंड है?**
	केंद्र सरकार 01.10.2020 को अथवा इसके पश्चात 30.06.2021 तक कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में अधिकतम 24 वेतनमाह के लिए निम्न दर पर सब्सिडी प्रदान करेगी। ➢ सितंबर, 2020 वेतनमाह में 1000 कर्मचारियों तक नियोजित करने वाली

	स्थापनाएं (यूएएन सहित अंशदान देने वाले सदस्य) : संपूर्ण कर्मचारी अंशदान (कर्मचारी के कर्मचारी भविष्य निधि वेतन का 12% अथवा स्थापना पर लागू सांविधिक दर) एवं नियोक्ता अंशदान (कर्मचारी के कर्मचारी भविष्य निधि वेतन का 12% अथवा स्थापना पर लागू सांविधिक दर) नए कर्मचारियों के संबंध में । ➢ सितंबर, 2020 वेतनमाह में 1000 कर्मचारियों से अधिक नियोजित करने वाली स्थापनाएं (यूएएन सहित अंशदान देने वाले सदस्य) : केवल कर्मचारियों का अंशदान (कर्मचारी के कर्मचारी भविष्य निधि वेतन का 12% अथवा स्थापना पर लागू सांविधिक दर) नए कर्मचारियों के संबंध में ।
13.	**एक स्थापना जिसके सितंबर, 2020 की ईसीआर में 1000 से कम कर्मचारी थे परंतु बाद में इनकी संख्या 1000 से अधिक हो गई तो क्या होगा, क्या इसे नियोक्ता अनुदान हेतु सहायता प्राप्त होती रहेगी?**
	स्थापना, नियोक्ता अंशदान हेतु सहायता प्राप्त करती रहेगी बेशक यूएएन सहित अंशदान करने वाले कर्मचारियों की संख्या योजना की अवधि के दौरान किसी वेतनमाह में 1000 से अधिक हो जाती है।
14.	**यदि पात्र कर्मचारी योजना की अवधि के दौरान नौकरी बदल लेता है तो क्या होगा?**
	पात्र नए कर्मचारी द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि से पंजीकृत एक स्थापना से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पंजीकृत दूसरी स्थापना में नौकरी बदलने/ चले जाने से उसकी पात्रता पर असर नहीं पड़ेगा, बशर्ते जिस स्थापना में कर्मचारी जाता है वह भी इस योजना के अंतर्गत पात्र है। तथापि, ऐसा पात्र नया कर्मचारी जो पात्र स्थापना में काम करने के कारण सब्सिडी लाभ प्राप्त कर रहा था, अपात्र स्थापना में, मान लें 3 माह के लिए, नौकरी पर लग जाता है, तो वह 3 माह के लिए लाभ प्राप्त नहीं करेगा।
15.	**इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र स्थापनाओं और कर्मचारियों द्वारा कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं?**
	➢ एबीआरवाई लागू करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियोक्ता पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक सुविधा आरंभ की है। ➢ स्थापनाओं को कर्मचारियों का संदर्भ आधार घोषित करना होगा एवं स्थापना को पंजीकृत करने के लिए इसे अद्यतन करना होगा एवं अपने नए कर्मचारियों को पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। ➢ माह दर माह के आधार पर ईसीआर प्रस्तुत करते समय नियोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई ईसीआर में दी गई सूचना के सही होने के संबंध में ईसीआर में दिए गए प्रमाण पत्र एवं घोषणा में प्रमाणित करना होगा।
16.	**इस योजना से एक नया कर्मचारी कैसे लाभान्वित होगा?**
	मासिक वेतन के 12% के दर से कर्मचारी का मासिक अंशदान जिसे कर्मचारी के वेतन से काटा जाना अपेक्षित है, का भुगतान पात्र स्थापना के नए कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि खाते में, केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। अतः नए कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं होगी और वह ज्यादा वेतन प्राप्त कर सकेगा ।
17.	**इस योजना से पात्र स्थापना के नियोक्ता किस प्रकार लाभान्वित होंगे?**
	पात्र स्थापना के नियोक्ता को अपनी स्थापना के नए कर्मचारियों के मासिक वेतन का 12% के दर से कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना के अपने अंश का भुगतान नहीं करना होगा। बशर्ते सितंबर, 2020 वेतनमाह के लिए उसकी स्थापना के कर्मचारियों की संख्या 1000 तक है। अतः नियोक्ता को धन की बचत होती है। इससे सभी पात्र स्थापना के नियोक्ता को अपने सभी नए कर्मचारियों द्वारा अधिक वेतन प्राप्त

	करने फलस्वरूप उन्हें बनाए रखने हेतु प्रोत्साहन मिलता है।
18.	**क्या आप इस योजना के तहत नियोक्ता एवं कर्मचारी को प्राप्त आर्थिक लाभ को विस्तार से बता सकते हैं?**
	निम्न उदाहरण देखें : **मान लें:** ➢ सितंबर, 2020 की ईसीआर के अनुसार एक स्थापना में 500 कर्मचारी हैं। ➢ माह अक्टूबर, 2020 में 100 नए कर्मचारी स्थापना में जुड़ते हैं, प्रत्येक का वेतन ₹10,000 है। **लाभ:** ➢ इस योजना के अनुसार कर्मचारी का 12% (रूपये 1200) का भविष्य निधि अंशदान 24 वेतन माह तक नहीं काटा जाएगा, बशर्ते स्थापना पात्रता की शर्तें पूरी कर रही हो। इस प्रकार 100 नए कर्मचारियों में से प्रत्येक रुपए 28,800 (1200*24 माह) सितंबर, 2022 तक अर्जित करेगा। ➢ स्थापना भी नियोक्ता के भविष्य निधि अंशदान के लिए प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए 1200/- रूपये की बचत करेगी। इस प्रकार अगले 2 वर्ष में उसे कुल 28,80,000/- रु (1200*24 माह* 100 कर्मचारी) की बचत होगी।
19.	**क्या केंद्र सरकार पात्र स्थापना के पात्र कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत संपूर्ण देयता वहन करेगी ?**
	केंद्र सरकार नए कर्मचारी की भविष्य निधि देयता का वहन करेगी जैसा कि प्रश्न संख्या 12 में विवरण दिया गया है। पात्र स्थापना के नियोक्ता ईडीएलआई एवं कर्मचारी भविष्य निधि प्रशासनिक प्रभार का भुगतान सभी कर्मचारियों के लिए तथा नए कर्मचारियों के अलावा उन कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी पेंशन योजना हेतु अंशदान करते रहेंगे।
20.	**क्या छूट प्राप्त स्थापनाओं में नए कर्मचारियों पर योजना लागू है?**
	जी हां, बशर्ते स्थापना पात्रता की शर्तें पूरी करती हो जैसा कि प्रश्न संख्या 6 में उल्लेख किया गया है।
21.	**पात्र स्थापना के सभी कर्मचारियों के क.भ.नि. एवं क.पें.यो. अंशदान का भुगतान क्या केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है ?**
	नहीं, प्रश्न 7 के उत्तर में यथा उल्लिखित केवल उन्हीं कर्मचारियों को, जो नए कर्मचारियों के रूप में माने जाने की शर्तों को पूरा करते हैं।
22.	यदि नियोक्ता द्वारा वेतन से नए कर्मचारी के क.भ.नि. का हिस्सा काटा जाता है तो क्या होता है ?
	यदि नियोक्ता, वेतन से कर्मचारी का हिस्सा काटता है तथा केंद्र सरकार से उस राशि का दावा करता है तो नियोक्ता ऐसी राशि की वसूली के अलावा कानून के अनुसार समुचित वैधानिक कार्रवाई के लिए बाध्य है।
23.	**यह लाभ प्राप्त करने के लिए नियोक्ता को क्या पंजीकृत होने की आवश्यकता है ?**
	किसी पात्र स्थापना से संबंधित नियोक्ता, क.भ.नि.सं. यूनिफाईड पोर्टल पर नियोक्ता के लॉगिन में एक लिंक के माध्यम से कर्मचारियों के संदर्भ आधार दर्ज करते हुए इस योजना के तहत स्थापना को पंजीकृत करेगा।
24.	**क्या नियोक्ता को पात्र कर्मचारियों के लिए अलग ईसीआर दायर करने की आवश्यकता है ?**
	किसी पात्र स्थापना से संबद्ध नियोक्ता, प्रत्येक वेतन माह के लिए नए कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के संबंध में एक इलैक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न (ईसीआर) दायर करेगा । भविष्य में लाभों में वृद्धि के लिए दावा करने हेतु ईसीआर में किसी प्रकार के संशोधन / सुधार / परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
25.	**क्या नियोक्ता को ईसीआर के अलावा कोई अन्य सूचना दायर करने की आवश्यकता है?**

	फार्म 5ए (स्वामित्व रिटर्न) में स्थापना के सभी शाखाओं एवं विभागों के विवरण तथा शाखाओं की प्रशासनिक सुविधा के लिए ली गई कोड संख्या भी, यदि कोई हो, समाहित होनी चाहिए। नियोक्ता, अपने अनुमोदित डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) का प्रयोग करते हुए फार्म 5ए को अद्यतित कर सकता है और उन्हें, योजना के पैरा 9(xiii) में उल्लिखित फार्मेट के अनुसार घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
26.	**क्या अंशदान राशि का भुगतान पहले स्थापना द्वारा किया जाएगा, तत्पश्चात् केंद्र सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी ?**
	पात्र स्थापना के नियोक्ता द्वारा ईसीआर अपलोड किए जाने पर, नए पात्र कर्मचारियों के संबंध में इस योजना के तहत देय केंद्र सरकार राहत के रूप में नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों का अंशदान राशि तथा शेष राशि जो नियोक्ता द्वारा देय है चालान में स्पष्ट दिखता है। नियोक्ता चालान में अंकित राशि के अनुसार देय भुगतान प्राप्त होने के पश्चात् पात्र कर्मचारियों के संबंध में क.भ.नि. एवं क.पें.यो. अंशदान उनके आधार से जोड़े गए यूएएन में सीधा केंद्र सरकार द्वारा आबंटित निधियों से क.भ.नि.सं. द्वारा जमा कर दिया जाएगा।
27.	**लाभ प्राप्त करने के लिए नियोक्ता के उत्तरदायित्व क्या है ?**
	नियोक्ता, ईसीआर में कर्मचारियों की कुल संख्या, वेतन का संवितरण तथा वेतन की राशि के लिए सही सूचना, विवरण या घोषणा तथा फार्म 5ए में स्थापना के पूरा विवरण दायर करना सुनिश्चित करें। ईसीआर प्रस्तुत करते समय नियोक्ता को प्रमाणपत्र / घोषणा दायर करने की आवश्यकता है।
28.	**नियोक्ता द्वारा गलत सूचना प्रस्तुत करने पर क्या होगा ?**
	यदि इलैक्ट्रॉनिक रूप में ईसीआर में या फार्म 5ए में या अन्यथा प्रस्तुत की गई सूचना या घोषणा असत्य / गलत होता है तो नियोक्ता, राहत राशि वापस करने के लिए बाध्य होंगे और क.भ.नि. एवं प्र.उ. अधिनियम, 1952 के तहत ऐसे उल्लंघन के लिए उन्हें दंडात्मक कार्रवाई का भी सामना करना होगा ।
29.	**एकल स्थापना जिनके कई भ.नि. कोड संख्या है, के संदर्भ आधार तथा कर्मचारियों के न्यूनतम संख्या मानदंड कैसे पूरा किया जाएगा ?**
	यदि कोई स्थापना एकल कानूनी इकाई होने के नाते, क.भ.नि.सं. से प्राप्त विभिन्न कोड संख्याओं के तहत अनुपालन कर रही है तो, इस योजना के पात्रता मानदंड के अनुरूप, 50/1000 कर्मचारियों की संख्या के निर्धारण हेतु समग्र रूप में स्थापना के सभी कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा । निम्नलिखित उदाहरण से इसे स्पष्ट किया गया है : • मैसर्स एक्सवाईजेड एक स्थापना है। • उसके पास 3 क.भ.नि. कोड संख्याएं है; यथा, 1111, 2222 तथा 3333 • ईसीआर के अनुसार संदर्भ वेतन माह के लिए कार्मिक शक्ति कोड संख्या 1111 में = 400, 2222 में = 40, 3333 में = 600 है । • मैसर्स एक्सवाईजेड के कुल कर्मचारी =1040 • मैसर्स एक्सवाईजेड के लिए लाभ हेतु कर्मचारियों का संदर्भ आधार 1040 है। उन्हें संदर्भ आधार को 1000 से ऊपर घोषित करना चाहिए । तथापि, तीनों कोड के तहत नए कर्मचारियों की गिनती के लिए क्रमश: 400, 40 एवं 600 के स्तर की तुलना की जाएगी, परंतु 1000 से ऊपर घोषित संदर्भ स्तर के अनुसार, प्रत्येक कोड में 5 कर्मचारियों को जोड़ना होगा तथा केवल कर्मचारी हिस्सा उन्हें मिलेगा ।
30.	**यदि कोई नई स्थापना दिनांक 01.10.2020 ससे 30.06.2021 के बीच पंजीकृत होती है और उक्त स्थापना 20 से कम कर्मचारियों के साथ स्वैच्छिक रूप से पंजीकृत होती है तथा इस योजना की वैद्यता अवधि के दौरान 20 से कम कर्मचारियों को बरकरार रखती है। इस योजना के तहत यदि नियोक्ता पंजीकृत होता है तो ऐसी**

	स्थापना के लिए क्या शर्ते लागू हैं?
	दिनांक 01.10.2020 से 30.06.2021 के बीच क.भ.नि.सं. के साथ पंजीकृत स्थापना के लिए कर्मचारियों का संदर्भ आधार शून्य माना जाएगा। यदि कोई ऐसी स्थापना, 20 से कम कर्मचारियों के साथ स्वैच्छिक रूप से पंजीकृत होती है तथा इस योजना की वैद्यता अवधि के दौरान 20 से कम कर्मचारियों के साथ बनाए रखती है तो, ऐसी स्थापना को क.भ.नि. एवं प्र.उ. अधिनियम, 1952 के अंतर्गत सांविधिक योजनाओं से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी और लाभार्थियों, जिन्होंने लाभ प्राप्त किए हों, को इस योजना की वैद्यता अवधि के बाद 2 वर्ष की अवधि समाप्त होने तक अंतिम प्रत्याहरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
31.	**नए कर्मचारियों की गणना के आधार पर कोई स्थापना अपनी पात्रता का आकलन कैसे कर सकती है ?**
	स्थिति 'क' • मैसर्स एक्सवाईजेड एक स्थापना है। • संदर्भ वेतन माह के लिए ईसीआर के अनुसार नियोजन शक्ति = 50 • अक्टूबर, 2020 में कुल नए कर्मचारी >= 2 • अक्टूबर, 2020 में कुल कर्मचारी >= 52 • क्या लाभ के लिए पात्र है = **हां** **स्थिति 'ख'** • मैसर्स एक्सवाईजेड एक स्थापना है। • संदर्भ वेतन माह के लिए ईसीआर के अनुसार नियोजन शक्ति = 51 • अक्टूबर, 2020 में कुल नए कर्मचारी >= 5 • अक्टूबर, 2020 में कुल कर्मचारी >= 56 • क्या लाभ के लिए पात्र है = **हां**
32.	**किस स्थिति में, नए कर्मचारियों को नियोजित करने के बावजूद, स्थापना लाभों के लिए अपात्र हो सकती है ?**
	उदाहरण क • मैसर्स एक्सवाईजेड एक स्थापना है। • संदर्भ वेतन माह के लिए ईसीआर के अनुसार नियोजन शक्ति = 50 • अक्टूबर, 2020 में कुल नए कर्मचारी >= 4 • अक्टूबर, 2020 में कुल कर्मचारी >= 51 • क्या लाभ के लिए पात्र है = **नहीं**, क्योंकि लाभों के लिए पात्र होने के लिए, इस स्थिति में स्थापना को कम से कम 50+5 = 52 कर्मचारियों को बनाए रखने की आवश्यकता है। **उदाहरण ख** • मैसर्स एक्सवाईजेड एक स्थापना है। • संदर्भ वेतन माह के लिए ईसीआर के अनुसार नियोजन शक्ति = 51 • अक्टूबर, 2020 में कुल नए कर्मचारी >= 10 • अक्टूबर, 2020 में कुल कर्मचारी >= 55 • क्या लाभ के लिए पात्र है = **नहीं**, क्योंकि लाभों के लिए पात्र होने के लिए, इस स्थिति में स्थापना को कम से कम 51+5 = 56 कर्मचारियों को बनाए रखने की आवश्यकता है।
33.	**स्थापनाओं, जो सितंबर, 2020 वेतन माह के लिए ईसीआर दायर करने तथा देयों का भुगतान करने में विफल रहीं हैं, के लिए संदर्भ आधार स्थापित करने के लिए**

	कर्मचारियों की गणना कैसे करें ?
	निम्नलिखित उदाहरण से नए कर्मचारियों की गिनती स्पष्ट की जाती है : • सितंबर, 2020 का वेतन माह • ईसीआर दायर करने की तिथि, दिनांक 16.10.2020 से 15.12.2020 के बीच कोई भी तिथि है। • वेतन माह सितंबर, 2020 के लिए ईसीआर में कर्मचारियों की संख्या, उदाहरणार्थ - 500 • सितंबर, 2020 के लिए ईसीआर की तुलना दिनांक 11.11.2020 तक दायर किया गया पिछले ईसीआर से की जाएगी। • यदि पिछला ईसीआर दिनांक 11.11.2020 को या उससे पहले दायर किया गया हो तो वह वेतन माह अगस्त, 2020 के लिए है। • वेतन माह अगस्त, 2020 के लिए ईसीआर में कर्मचारियों की संख्या, उदाहरणार्थ- 510 • कर्मचारियों का संदर्भ आधार 510 होगा ।
34.	**एक कर्मचारी जिसका यूएएन 101234567890 है, वह दिनांक 30.12.2019 को स्थापना मैसर्स एक्सवाईजेड से कार्यमुक्त होता है तथा दिनांक 01.02.2020 को स्थापना मैसर्स आरएसटी में कार्य ग्रहण करता है तथा इस स्थापना से दिनांक 31.07.2020 को कार्यमुक्त होता है। तत्पश्चात् 01.10.2020 को रू. 14000/- के मासिक वेतन सहित स्थापना मैसर्स पीक्यूआर में कार्यग्रहण करता है। क्या, वह इस योजना के तहत सब्सिडी पाने का पात्र हैं ?**
	जी हां।
35.	**इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण के लिए सुविधा उपलब्ध होने से पूर्व नियोक्ता द्वारा अक्टूबर एवं नवंबर, 2020 वेतनमाह के लिए ईसीआर दायर करने पर क्या होगा ?**
	जहां कहीं नियोक्ता ने इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण हेतु सुविधा उपलब्ध होने से पूर्व अक्तूबर एवं नवंबर, 2020 के वेतनमाह के ईसीआर दायर किया हो, इस योजना के तहत देय लाभ जिन्हें ईसीआर के माध्यम से पहले ही प्रेषित किया गया है, भविष्य में समायोजन के माध्यम से उनकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है।
36.	**जनवरी, 2021 में क.भ.नि.सं. कवर्ड स्थापना में कार्यग्रहण करने वाले किसी पात्र कर्मचारी के लिए सब्सिडी लाभ प्राप्त करने हेतु 24 महीने की अवधि को कैसे गिना जाएगा ?**
	• यह मान लिया जाए कि श्री ए जनवरी, 2021 में पहली बार क.भ.नि.सं. कवर्ड स्थापना मैसर्स एक्सवाईजेड में कार्य ग्रहण करते हैं। • मैसर्स एक्सवाईजेड लाभों के लिए पात्र हैं। • पात्रता माह जनवरी, 2021 • लाभ प्राप्त करने के लिए प्रथम वेतन माह जनवरी, 2021 होगा । • श्री ए, रू. 15,000/- से कम क.भ.नि. वेतन पर किसी पात्र स्थापना में कार्यरत रहते हैं। • श्री ए दिसंबर, 2022 तक कुल 24 वेतन महीनों के लिए लाभ प्राप्त करते रहेंगे।
37.	**संदर्भ वेतनमाह के लिए ईसीआर में कर्मचारियों के आधार पर सब्सिडी लाभों के प्रतिशत की गणना कैसे की जाएगी ?**
	क. संदर्भ वेतनमाह के लिए ईसीआर के अनुसार यदि नियोजन शक्ति <=1000 है। • मैसर्स एक्सवाईजेड एक स्थापना है। • संदर्भ वेतन माह के लिए ईसीआर के अनुसार नियोजन शक्ति = 1000 • अक्टूबर, 2020 में कुल नए कर्मचारी >= 5 • अक्टूबर, 2020 में कुल कर्मचारी >= 1005

	• लाभ की राशि =कभनि वेतन का 24% **ख**. संदर्भ वेतनमाह के लिए ईसीआर के अनुसार यदि नियोजन शक्ति >=1000 है। • मैसर्स एक्सवाईजेड एक स्थापना है। • संदर्भ वेतन माह के लिए ईसीआर के अनुसार नियोजन शक्ति =1001 • अक्टूबर, 2020 में कुल नए कर्मचारी >= 5 • अक्टूबर, 2020 में कुल कर्मचारी >= 1006 • लाभ की राशि =कभनि वेतन का 12%
38.	**क्या कोई पात्र स्थापना ईसीआर विलंब से दायर करती है तथापि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकती है ?**
	इस योजना के तहत लाभों का दावा करने हेतु पात्र स्थापना द्वारा किसी भी वेतन माह के लिए दायर किया जाने वाला ईसीआर उस वेतनमाह की समाप्ति के 60 दिनों से अधिक विलंब से जमा न किया गया हो। यदि ईसीआर किसी वेतन माह के नियत तिथि के बाद परंतु उस वेतन माह की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर दायर किया गया है तो, क.भ.नि. एवं प्र.उ. अधिनियम, 1952 की धारा 7क्यू के अंतर्गत देय ब्याज की देयता नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा।